म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन,भोपाल

क्र. / बोर्ड / निर्माण / 2018–19 / 1967 भोपाल, दिनॉकः–09.10.19

निविदा आमंत्रण सूचना (समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु)

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, 26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल द्वारा निम्नानुसार 8 मण्डी प्रांगणों में 750.00 वर्गमीटर के भू–खण्ड पर स्वीकृत अधोसंरचना में पाँच टन प्रति घण्टा की क्षमता वाले मल्टीग्रेन कलर सार्टेक्स प्लांट की स्थापना एवं संचालन हेतु इच्छुक निविदाकारों के लिए दिनांक 10.10.2019 को सायं 05:30 बजे से ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। उक्त निविदा प्रपत्र शासन की ऑन लाईन पॉर्टल mptenders.gov.in पर क्रय किये जा सकते है।

सरल क्रं0	मंडी समिति का नाम	धरोहर राशि (रू.)	धरोहर राशि का प्ररूप	प्लांट स्थापित करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रू.)
1	2	4	5	6	7
1	08 मंडी प्रांगण	चार लाख प्रति प्लांट	किसी भी अधिसूचित बैंक की स्थानीय शाखा की मियादी जमा रसीद	03 माह वर्षाकाल सहित	15,000 / प्रति प्लांट

नोटः निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी कार्यालय में मण्डीबोर्ड की बेवसाइट www.mpmandiboard.gov.in पर देखी जा सकती है एवं बिना किसी भुगतान के डाउनलोड की जा सकती है।

–:शर्तेः–

1. निविदा से संबंधित सभी संशोधन मण्डीबोर्ड की बेवसाइट www.mpmandiboard.gov.in पर जारी किए जायेंगे।

अधीक्षण यंत्री
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन,भोपाल
क्र./बोर्ड/निर्माण/2018–19/1967भोपाल, दिनॉकः–09.10.19

निविदा आमंत्रण सूचना(समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु)

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, 26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल द्वारा निम्नानुसार8 मण्डी प्रांगणों में 750.00 वर्गमीटर के भू–खण्ड परस्वीकृत अधोसंरचना में पाँच टन प्रति घण्टा की क्षमता वाले मल्टीग्रेन कलर सार्टेक्स प्लांट की स्थापना एवं संचालन हेतु इच्छुक निविदाकारों के लिए दिनांक10.10.2019को सायं 05:30 बजेसे ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। उक्त निविदा प्रपत्र शासन की ऑन लाईन पॉर्टल mptenders.gov.in पर क्रय किये जा सकते है।

सरल क्र0	मंडी समिति का नाम	धरोहर राशि (रू.)	धरोहर राशि का प्ररूप	प्लांट स्थापित करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रू.)
1	2	4	5	6	7
1	08 मंडी प्रांगण	बत्तीस लाख	किसी भी अधिसूचित बैंक की स्थानीय शाखा की मियादी जमा रसीद	03 माह वर्षाकाल सहित	50,000/–

नोटः निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी कार्यालय में मण्डीबोर्ड की बेवसाइट www.mpmandiboard.gov.inपर देखी जा सकती है एवं बिना किसी भुगतान के डाउनलोड की जा सकती है।

–:शर्तेः–

1. निविदा से संबंधित सभी संशोधन मण्डीबोर्ड की बेवसाइटwww.mpmandiboard.gov.inपर जारी किए जायेंगे।

अधीक्षण यंत्री
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन,भोपाल
"निविदा आमंत्रण सूचना"

क्र. / बोर्ड / निर्माण / 2018–19 /   भोपाल, दिनॉकः–

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, 26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल द्वारा निम्नानुसार 8 मण्डी प्रांगणों में 750.00 वर्गमीटर के भू–खण्ड पर स्वीकृत अधोसंरचना में पाँच टन प्रति घण्टा की क्षमता वाले मल्टीग्रेन कलर सार्टेक्स प्लांटकी स्थापना एवं संचालन हेतु इच्छुक निविदाकारों के लिए दिनांक10.10.2019को सायं 05:30 बजेसे ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। उक्त निविदा प्रपत्र शासन की ऑन लाईन पॉर्टल mptenders.gov.in पर क्रय किये जा सकते है।

सरल क्र0	मंडी समिति का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	धरोहर राशि (रू.)	धरोहर राशि का प्ररूप	प्लांट स्थापित करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रू.)
1	2	3	4	5	6	7
1	मंडी प्रांगण भोपाल, तक. सं. भोपाल	चार करोड़ प्रति प्लांट	बत्तीस लाख	किसी भी अधिसूचित बैंक की स्थानीय शाखा की मियादी जमा रसीद	03 माह वर्षाकाल सहित	50,000 / –
2	मंडी प्रांगण खरगौन, तक. सं. खरगौन					
3	मंडी प्रांगण छिन्दवाड़ा, तक. सं. सिवनी					
4	मंडी प्रांगण पिपरिया, तक. सं. होशंगाबाद					
5	मंडी प्रांगण कटनी, तक. सं. जबलपुर					
6	मंडी प्रांगण टीकमगढ़, तक. सं. सागर					
7	मंडी प्रांगण जावरा, तक. सं. मंदसौर					
8	मंडी प्रांगण अशोकनगर, तक. सं. ग्वालियर					

–:शर्ते :–

1- निविदा के सभी संशोधन पोर्टलmptenders.gov.in &www.mandiboard.gov.inपर जारी किए जायेंगे।

2- उपरोक्त विज्ञप्ति मंडी बोर्ड की वेबसाइट www.mandiboard.gov.inपर भीदेखी जा सकती है।

3- निविदा प्रपत्र की फ़ीस रूपये 50,000/–(रूपये पचास हजार मात्र प्रति प्लांट) का भुगतानऑनलाईन के माध्यम से किया जावेगा। उक्त फ़ीस की राशि वापसी योग्य नहीं होगी।

4- निविदा से संबंधित तकनीकी अहर्ता से संबंधित अभिलेख/दस्तावेज निर्धारित समय 5:30 दिनांक31.10.2019तक मात्र स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से स्वीकार किये जावेगे।

5- मल्टीग्रेन कलर सार्टेक्स प्लांट (क्षमता पाँच टन प्रति घण्टा)द्वारा ग्रेडिंग एवंप्रसंस्करणकरने हेतु कृषक एवं व्यापारियों से ली जाने वाली **अधिकतम** दरें निम्नानुसार होंगीः–

अनुक्रमांक	अनाज का प्रकार	ग्रेडिंग एवं प्रसंस्करण करने की अधिकतम दर प्रति क्विंटल (रू.)
1	2	3
1.	गेंहूँ	50/–
2.	चना	50/–
3.	सोयाबीन	50/–
4.	धान	50/–
5.	अरहर	55/–
6.	मूंग	55/–
7.	मसूर	55/–
8.	उड़द	55/–
9.	धनिया	60/–
10.	मैथी	60/–
11.	तिल्ली	115/–
12.	खसखस	290/–
13.	कलौंजी	115/–

नोटः– उपरोक्त दरें अनुबंध दिनांक से एक वर्ष तक मान्य रहेंगी। सूची में दी गई जीन्सों के अलावा अन्य जीन्स की ग्रेडिंग एवं प्रसंस्करण करने की दरें आवश्यकतानुसार शामिल करने का प्रस्ताव सचिव संबंधित मण्डी समिति की बैठक में प्रस्तुत करेंगे, तदानुसार मण्डी समिति में पारित प्रस्ताव अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। उक्त प्रक्रिया में अधिकतम .... दिवस की सीमा निर्धारित रहेगी।

6- निविदा में भाग लेने वाले निविदाकारों को ''लेखाधिकारी, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपालके नाम से देय धरोहर राशि रू. 32.00 (बत्तीस) लाख मात्र ऑन–लाईन पोर्टल पर जमा करनी होगी।

7- मल्टीग्रेन सार्टेक्स प्लांट (पाँच टन प्रति घंटा) हेतु शेड एवं अधोसंरचना सहित भू–खण्ड, जिसका क्षेत्रफल 750.00 वर्गमीटर होगा, का आवंटन अधिकतम एकवर्ष के लिए मान्य रहेगी।

8- किसी निविदाकार के फर्म में भागीदार की अन्य किसी दूसरे निविदाकार के साथ भागीदारी है, तो दोनों निविदाकारों को एक ही माना जावेगा अर्थात वह एक ही फर्म होगी।

9- **पात्र निविदाकार की अहर्ताएं :–**

अ) निविदाकार व्यक्ति/फ़र्म का दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन होना आवश्यक है।

ब) निविदाकार को मल्टीग्रेन कलर सार्टेक्स प्लांट की स्थापना का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है।

स) निविदाकार का विगत तीन वित्तीय वर्षों में से किसी भी एक वित्त वर्ष में टर्न–ओवर कम से कम रूपये16.00 करोड़ होना आवश्यक है तथा तीन वर्षों का संयुक्त रूप से रू0 48.00 करोड़ होना आवश्यक है।

द)निविदाकार मल्टीग्रेन कलर सार्टेक्स प्लांट का स्वयं निर्माता होना चाहिए, जिसका प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

ध) GOIकी संस्था ICARका Certificate होना अनिवार्य है, जिसका प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

10- निविदा प्रपत्र क्रय करनेअन्य दस्तावेजों सहित तकनीकी बिड की प्रस्तुतिएवंवित्तीय ऑफर खोलने का शेड्यूल **परिशिष्ट–अ** में दिया गया है।

11- तकनीकी बिड से संबंधित अभिलेख/दस्तावेज उपयुक्त पाये जाने की स्थिति में ही वित्तीय ऑफर का लिफाफा खोला जावेगा।

12- निविदा से संबंधित अन्य विस्तृत शर्ते कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, 26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल (मण्डी बोर्ड) के निर्माण शाखा में देखी जा सकती है ।

13- निविदाकार द्वारा निविदा में सम्मिलित किसी भी अतिरिक्त शर्त पर विचार नहीं किया जायेगा।

14- निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार से पक्ष प्रचार वर्जित है एवं जो भी निविदाकार पक्ष प्रचार करते पाया जाएगा, उसकी निविदा निरस्त कर दी जायगी।

15- निविदा आमंत्रण की सभी शर्ते अनुबंध का भाग होंगी।

16- निश्चित समय के पश्चात् प्राप्त हुई निविदा को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

अधीक्षण यंत्री
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

कार्य का क्षेत्र

1- कृषकों, व्यापारियों एवं अन्य के हित एवं कल्याण हेतु विभिन्न 8मंडी प्रांगणों में पाँच टन प्रति घण्टा की क्षमता वाले मल्टीग्रेन कलर सार्टेक्स प्लांट की स्थापना एवं संचालन किया जाना प्रस्तावित है।

2- कृषि उपज मंडी समिति निविदाकार को 750.00 वर्गमीटर का भू–खण्ड उपलब्ध करवाएगी, जिस पर शेड एवं अन्य जरूरी अधोसंरचना का निर्माण कराना निविदाकार की होगी।

3- पाँच टन प्रति घण्टा की क्षमता वाले मल्टीग्रेन कलर सार्टेक्स प्लांट का मेक एण्ड मॉडल अनुबंध के साथ संलग्न **परिशिष्ट "ई"** में दिए गए विस्तृत स्पेसिफ़िकेशन्स के अनुरूप होना चाहिए।

4- निविदाकार द्वारा शेड में स्थापित किए जाने वाले **प्लांट** का तकनीकी निरीक्षण मंडी समिति के सचिव एवं मंडी बोर्ड के तकनीकी अधिकारियों द्वारा कराए जाने के पश्चात् ही प्लांट की स्थापना की जाएगी। उक्त निरीक्षण निविदाकार के द्वारा सूचना देने की तिथि से अधिकतम 15 दिवस में कराया जावेगा।

5- यदि किन्ही कारणों से प्लांट की स्थापना एवं उसके संचालन में विलंब होता है, तो आवेदन में वर्णित विलम्ब के कारण/कारणों से मंडी समिति के सचिव/मंडी बोर्ड संतुष्ट है, तो वह तीन माह का अतिरिक्त समय दे सकती है,

6- कृषि उपज मंडी समिति के सचिव एवं मंडी बोर्ड के तकनीकी अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किये जाने के उपरान्त ही निविदाकार द्वारा प्लांट का संचालन प्रारम्भ किया जायेगा। उक्त निरीक्षण निविदाकार के द्वारा सूचना देने की तिथि से अधिकतम 15 दिवस के अन्दर कराया जावेगा।

7- निविदाकार, कृषकों/व्यापारियों एवं अन्य से निविदा आमंत्रण सूचना में ग्रेडिंग एवंप्रसंस्करण हेतु दी गई दरों से अधिक वसूल नहीं करेगा।

8- निविदाकार को प्लांट के संचालन के दौरान कृषकों/व्यापारियों को यथोचित जन सुविधायें भी उपलब्ध करानी होंगी।

9- प्लांट के संचालन की अवधि अनुबंध दिनांक से अधिकतम एक वर्ष के लिए प्रभावशील होगी।निर्मित शेड, समस्त अधौसंरचनाएँ एवं प्लांट संबंधित मंडी समिति को हस्तांतरित करने के पूर्व संचालन की प्रक्रिया हेतु मंडी सचिव द्वारा अधिकृत दो मंडी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना होगा।

10- निविदाकार द्वारा प्लांट की स्थापना,संचालन एवं प्लांट के संचालन की अवधि में प्लांट, शेड एवं समस्त अधोसंरचनाओं की मरम्मत एवं रखरखाव स्वयं के व्यय पर करना

होगा।भू–खण्ड, शेड एवं अधोसंरचनाओं में किसी भी प्रकार का रद्दों बदल मान्य नहीं होगा। यदि तकनीकी रूप से रद्दों बदल किया जाना आवश्यक हो तो आवेदन मंडी समिति के सचिवको प्रस्तुत किया जाना होगा। मंडी समिति के सचिव की अनुशंसा पर कार्यपालन यंत्री, तकनीकी संभाग संबंधित तकनीकी रूप से प्रस्ताव का परीक्षण/ निरीक्षण कर अपने निर्णय से मण्डी समिति के सचिव को अवगत कराएंगे, जिसके अनुक्रम में मंडी सचिव आगामी कार्यवाही करेगा। उक्त प्रक्रिया में अधिकतम 15 दिवस की सीमा मान्य होगी।

11- निविदाकार को प्लांट की स्थापना एवं संचालन की अवधि में भारत सरकार, राज्य शासन, मंडी समिति एवं स्थानीय निकाय द्वारा बनाये गए संबंधित सभी अधिनियमों एवं नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

12- निविदाकार को प्लांट की स्थापना एवं संचालन हेतु आवश्यक अनुमति,सहमति एवं लायसेंस स्वयं के व्यय पर प्राप्त करने होंगे।

13- निविदाकार का सार्टेक्स प्लांट की स्थापना एवं संचालन हेतु संबंधित म0प्र0 कारखाना अधिनियम 1948 (M.P. Factory act 1948) के अन्तर्गत पंजीयन होना आवश्यक है। यदि पूर्व में पंजीकृत नहीं है तो पंजीयन का आवेदन भी मान्य होगा। प्लांट चालू करने के पूर्व पंजीयन कराना आवश्यक होगा।

14- निविदाकार को प्लांट की स्थापना एवं संचालन हेतु आवश्यकतानुसार बिजली एवं पानी की व्यवस्था स्वयं के व्यय पर करनी होगी। मण्डी समिति द्वारा सुविधा उपलब्ध कराने की स्थिति में नियमानुसार अतिरिक्त शुल्क जमा कराना होगा।

15- अनुबंध अवधि की समाप्ति पर निविदाकार द्वारा संचालन के लिये निर्मित शेड, समस्त अधौसंरचनाएॅ एवं प्लांट चालू हालत में संबंधित मंडी समिति को हस्तांतरित करना होगा।

16- मंडी समिति द्वारा इस व्यवस्था के हस्तांतरण हेतु निविदाकार को किसी भी प्रकार की राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा यह संपूर्ण सम्पत्ति संबंधित कृषि उपज मंडी समिति के स्वामित्व की होगी। यदि हस्तान्तरण प्रक्रिया में किसी भी तरह का व्यय संभावित है तो वह हस्तान्तरणकर्ता को वहन करना होगा।

17- भू–खण्ड, शेड एवं अधोसंरचना का उपयोग मात्र संबंधित कार्य हेतु ही किया जावेगा। राजनितिक, धार्मिक, सामाजिक या अन्य किसी भी प्रकार से उपयोग करना वर्जित होगा। अन्यथा की स्थिति में आवंटन रद्द किया जाकर सम्पूर्ण संपत्ति संबंधित मंडी समिति अपने आधिपत्य में ले लेगी, जिसकी समस्त जबाबदारी निविदाकार की होगी।

18- संबंधित मंडी समिति को निर्धारित अवधि के पश्चात् हस्तांतरण करने की स्थिति में प्लांट से संबंधित समस्त प्रकार के नो–ड्यूज प्रमाण–पत्र हस्तांतरणकर्ता को संबंधित मंडी समिति में प्रस्तुत करना होंगे, तत्पश्चात् ही हस्तांतरण मान्य होंगे।

19- दर सूची का प्रकाशन 2.50फीट x 6.00फीट में करना होगा। उक्त सूची मंडी प्रांगण में सहज दृष्टि गोचर स्थलों पर लगानी होगी।

अधीक्षणयंत्री
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

1. निविदाकार को **निविदा प्रपत्र का शेड्यूल**(**परिशिष्ट–अ)** में दी गई समय सारणी का अनुपालन करना होगा।

निविदा प्रपत्र की अंतर्वस्तु(contents)

i. निविदाकार का संगठनात्मक विवरण(**परिशिष्ट–ब**)
ii. निविदाकार का शपथ पत्र (**परिशिष्ट–स**)
iii. धरोहर राशि
iv. टैक्नीकल बिड (**परिशिष्ट–द**)
v. वित्तीय ऑफ़र (**परिशिष्ट–ड**)
vi. अुनबंध

प्री बिड मीटिंग

प्री बिड मीटिंग के स्थान, दिनांक एवं समय की सूचना निविदा प्रपत्र के परिशिष्ट अ में निर्धारित शेड्यूल अनुसार रहेगी।यदि कोई परिवर्तन प्री बिड मीटिंग की तिथि एवं समय में होता है तो मंडीबोर्ड की बेवसाइट पर तदानुसार सूचना प्रकाशित की जावेगी। निविदाकारों द्वारा निविदा से संबंधित कोई भी पृच्छा या स्प्ष्टीकरण मांगा जा सकता है। प्री बिड मीटिंग का उद्देश्य निविदाकारों को निविदा से संबंधित सभी बिन्दुओं पर जानकारी उपलब्ध कराना है।

प्री बिड मीटिंग का कार्यवृत्त तैयार कर मंडीबोर्ड कीवेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। आवश्यकता होने पर निविदा की निर्धारित दिनांक को आगे बढ़ाया जा सकता है एवं निविदा प्रपत्र को मान्य सुझावों के अनुसार संशोधित भी किया जा सकता है।

निविदा तैयार कर भेजना

निविदाकार को तकनीकी अहर्ता/दस्तावेज निर्धारित समय में स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक से भेजना अनिवार्य होगा। डाक विभाग की किसी भी गलती के लिये मंडी बोर्ड जवाब देय नही होगा।निश्चित समय के पश्चात् प्राप्त हुई निविदा को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

निविदा में सम्मिलित दस्तावेज़

निविदा से संबंधित समस्त अभिलेख/दस्तावेज, निविदाकार का संगठनात्मक विवरण एवं 100 रू0 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र जिसमें निविदाकार को लेख करना होगा कि–

1. निविदाकार द्वारा प्रस्तुत सभी जानकारी सत्य है।
2. निविदाकार का कोई नजदीकी रिश्तेदार मंडी बोर्ड/मंडी समिति में कार्यात नही है।
3. निविदाकार के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित नही है।

उपरोक्त दस्तावेज निर्धारित समय में कार्यालय प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल को स्पीड पोस्ट/ रजिस्टर्ड डाक से भेजना अनिवार्य होगा।

निविदा की वैधता

निविदा की वैधता, निविदा अपलोड करने के दिनांक से 90 दिन होगी, जो परस्पर सहमति से बढ़ायी जा सकेगी।

निविदाओं को खोलने एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया

निविदाऐं निविदा प्रपत्र के शेड्यूल'' में दी गई निर्धारित दिनांक एवं समय पर कार्यालय में खोली जाएंगे।तकनीकी बिड का परीक्षण ऑन लाईन प्रस्तुत अभिलेखों एवं प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर किया जावेगा। यदि परीक्षण में कोई कमी पाई जाती है तो टेक्नीकल बिड अस्वीकृत की जावेगी, तत् पश्चात केवल मान्य टेंक्नीकल बिड का ही मूंल्यांकन किया जावेंगा एवं टेक्नीकली क्वालीफाईड निविदाकारें के ही वित्तीय ऑफर खोले जावेगें। तकनीकी बिड खोले जाने के समय निविदाकार स्वंय अथवा उनका कोई अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकेगा।

वित्तीय ऑफर निविदा प्रपत्र के शेड्यूल में दिये गये निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित निविदाकार या उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोले जावेंगे।

सफ़ल निविदाकार का चयन

वित्तीय ऑफ़र में उद्धृत वार्षिक प्रीमियम के आधार पर सफ़ल निविदाकार का चयन किया जाएगा। सफ़ल निविदाकार को स्वीकृति पत्र में सचिव,कृषि उपज मंडी समिति द्वारा सूचित किया जाएगा कि स्वीकृति पत्र के दिनांक से पंद्रह दिन के भीतर नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रपत्र में अनुबंध निष्पादित करना होगा।अनुबंध भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची 1–क के अनुसार निर्धारित दर से स्टाम्पित होना अनिवार्य होगा। अनुबंध को नोटराईज्ड/पंजीकृत कराया जाना अनिवार्य होगा एवं उपरोक्त प्रक्रिया का संपूर्ण व्यय सफ़ल निविदाकार द्वारा वहन किया जाएगा।यदि सफ़ल निविदाकार द्वारा निश्चित अवधि में अनुबंध निष्पादित नहीं किया जाता है तो उसकी धरोहर राशि राजसात कर ली जाएगी तथा उसे निविदा के आगामी आमंत्रण में भाग लेने हेतु अयोग्य माना जाएगा।

अनुबंध का क्रियान्वयन

सार्टेक्स प्लांट की स्थापना एवं संचालन के पूर्व सार्टेक्स प्लांट संचालक को (i) परफ़ार्मेंस सिक्यिूरिटी की राशि जमा करनी होगी।

(1) परफ़ार्मेंस सिक्यिूरिटी की राशि हेतु मियादी जमा रसीद,जो कम से कम न्यूनतम पाँच वर्ष की अवधि की हो, बनवानी होगी। मियादी जमा रसीद किसी भी अधिसूचितबैंक की स्थानीय शाखा की होगी जो लेखाधिकारी, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल के नाम से देय होंगी।

उपरोक्त राशियाँ जमा किए जाने के पश्चात् ही प्लांट स्थापना हेतु शेड एवं अन्य अधोसंरचनाओं का निर्माण कार्य शुरू किया जा सकेगा। उसके द्वारा जमा की गई धरोहर राशि वापिस कर दी जाएगी। यदि सार्टेक्स प्लांट संचालक चाहे तो उसकी द्वारा दी गई धरोहर राशि को परफ़ार्मेंस सिक्यिूरिटी में समायोजित करा सकता है।

यदि सार्टेक्स प्लांट संचालक द्वारा प्लांट स्थापना हेतु शेड एवं अन्य अधोसंरचनाओं का निर्माण कार्य शुरू करने के पूर्व उपरोक्त राशियाँ जमा नहीं की जाती हैं तो उसकी धरोहर राशि राजसात कर ली जाएगी तथा उसे निविदा के आगामी आमंत्रण में भाग लेने हेतु अयोग्य माना जाएगा।

अनुबंध

यह अनुबंध आज दिनांक......................को **सचिव कृषि उपज मंडी समिति................ जिला.........................संभाग.........................** **(म0प्र0)** (इसके पश्चात् प्रथम पक्ष ''नियोक्ता'' कहलायेगा) एवं मेसर्स ...., पता...जिला..... ....संभाग..........................प्रदेश............................(इसके पश्चात् द्वितीय पक्ष **''सार्टेक्स प्लांट संचालक''**कहलायेगा, जिसमें उसके उत्तराधिकारी, हस्तांकिती एवं कानूनी वारिस शामिल होंगे) के मध्य निष्पादित किया जाता है।

''अनुबंध की विस्तृत शर्ते''

1. सार्टेक्स प्लांट स्थापना हेतु मंडी समिति द्वारा उपलब्ध करवाए गये भू–खण्ड पर शेड एवं अन्य जरूरी अधोसंरचना का निर्माण निर्धारित समय में कराने की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।
2. .अनुबंध की अवधि अनुबंध के दिनांक से अधिकतम एक वर्ष होगी।
3. सार्टेक्स प्लांट की क्षमता पाँच टन प्रति घंटा होना चाहिए।
4. परफ़ार्मेंस सिक्यूरिटी की राशिलेखाधिकारी, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपालके नाम जमा करना होगी। परफ़ार्मेंस सिक्यूरिटी प्लांट संचालन के प्रारम्भ होने के दिनांक से न्यूनतम एकवर्ष के लिये होगी। उक्त राशि अनुबंध समाप्ति के पश्चात् संबंधित मण्डी समिति, स्थापना एवं संचालन संबंधी तथा अन्य के ''नो ड्यूज'' प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही देय होगी। यदि सार्टेक्स प्लांट संचालक की ओर कोई वसूली/दायित्व की राशि बकाया है तो बकाया राशि का कटौत्रा कर शेष राशि भुगतान की जावेगी।
5. संबंधित मण्डी प्रांगण के अनुमोदित ले–आउट प्लान में चिन्हित भूमि पर ही प्लांट स्थापित करना होगा।
6. भू–खण्ड पर शेड एवं अधोसंरचनाओं का निर्माण कार्य मंडी बोर्ड के तकनीकी अमले की देखरेख में करवाया जावेगा। निर्माण कार्य प्लांट की आवश्यकता के अनुसार ही किया जावेगा।
7. सार्टेक्स प्लांट की स्थापना का कार्य सार्टेक्स प्लांट संचालक द्वारा भारतीय मानक संस्थान के अद्यतन संशोधित आई. एस. कोड, आई.सी.ए.आर. एवं अन्य निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कराया जावेगा।

8. सार्टेक्स निविदाकार को अनुबंध के दिनांक से 03माह की अवधि में स्थापित कर प्रारम्भ करना होगा। यदि यथोचित कारणों से प्लांट के संचालन में विलंब होता है एवं मंडी समिति/मंडी बोर्ड विलंब के कारणों से संतुष्ट है तो तीन माह का अतिरिक्त समय दिये जाने पर विचार किया जा सकता है।
9. यदि अतिरिक्त समय में भी सार्टेक्स प्लांट संचालक, प्लांट के संचालन में असफ़ल रहता है तो उसका अनुबंध निरस्त कर परफ़ार्मेंस सिक्यूरिटी की राशि राजसात की जावेगी।
10. कृषि उपज मंडी समिति एवं मंडी बोर्ड के तकनीकी अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किये जाने के उपरान्त ही सार्टेक्स प्लांट संचालक द्वारा प्लांट का संचालन प्रारम्भ किया जायेगा। उक्त निरीक्षण निविदाकार के द्वारा सूचना देने की तिथि से अधिकतम एक माह में कराया जावेगा।
11. सार्टेक्स प्लांट की स्थापना हेतु सिविल कार्य एवं प्लांट स्थापना सार्टेक्स प्लांट संचालक द्वारा किया जावेगा।
12. कृषकों को उनकी कृषि उपज का सार्टेक्स प्लांट पर ग्रेडिंग एवं प्रसंस्करण कराना ऐच्छिक होगा। सार्टेक्स प्लांट संचालक को कृषकों की कृषि उपज की ग्रेडिंग एवं प्रसंस्करण प्राथमिकता के आधार पर करना होगा।
13. सार्टेक्स प्लांट संचालक, कृषि उपज की ग्रेडिंग एवं प्रसंस्करण करने कीनिर्धारित दरों से किसी भी स्थिति में कृषकों अथवा व्यापारियों से अधिक दर वसूल नहीं करेगा। संचालक द्वारा अधिक दर लिए जाने पर सचिव मंडी समिति द्वारा अनुबंध की कण्डिका **32** के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
14. प्लांट संचालक द्वारा किसी भी प्रकार का कोई रददो–बदल भू–खण्ड, शेड एवं अधोसंरचनाओं में नही किया जावेगा।
15. भू–खण्ड तथा प्लांट हेतु निर्मित अधोसंरचनाओं को प्लांट फिक्शिंग एवं प्रावधात्मक उपयोग के लिए आधिपत्य में दिया जावेगा।
16. सार्टेक्स प्लांट की कार्य प्रणाली का निरीक्षण, शासन/मंडी बोर्ड/मंडी समिति के अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकेगा, जिसमें सार्टेक्स प्लांट संचालक को पूर्ण सहयोग देना होगा।
17. सार्टेक्स प्लांट संचालक पर कांट्रेक्ट एक्ट, मण्डी अधिनियम,उपविधि के प्रावधानों के साथ–साथ राज्य शासन एवं भारत सरकार के संबंधित अधिनियम, नियम एवं समय–समय पर जारी किए गए परिपत्र/संशोधन परिपत्र/निर्देश बंधनकारी होंगे एवं उनका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

18. सार्टेक्स प्लांट में संचालन के दौरान कोई तकनीकी खराबी आती है तो संचालक द्वारा उसे अविलंब ठीक कराना होगा। यदि आवश्यक होता है तो तकनीकी खराबी ठीक कराने के पश्चात् एवं सार्टेक्स प्लांट संचालन करने के पूर्व मंडी समिति/मंडी बोर्ड के संबंधित अधिकारी से निरीक्षण कराना आवश्यक होगा। संबंधित अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट की मूल प्रति मंडी समिति के कार्यालय में जमा करनी होगी।

19. सार्टेक्स प्लांट संचालक, सफलता पूर्वक सार्टेक्स प्लांट संचालित करने की न्यूनतम 01 वर्ष की अवधि के पश्चात् यदि सार्टेक्स प्लांट को आगे संचालित करने का इच्छुक हो तो सार्टेक्स प्लांट संचालक व मंडी बोर्ड की आपसी सहमति से संचालन के करार को आगे बढ़ाया जा सकता

20. सार्टेक्स प्लांट की संचालन अवधि में संबंधित मण्डी समिति के द्वारा बोर्ड की स्वीकृति के बिना कोई नया प्लांट स्थापित करने पर प्रतिबंध रहेगा।

हस्तांतरित करने की प्रक्रिया

सार्टेक्स प्लांट संचालक द्वारा हस्तांतरण हेतु पूर्ण प्रस्ताव सचिव,कृषि उपज मंडी समिति को प्रस्तुत करना होगा, जिसका मंडी समिति द्वारा परीक्षण एवं निर्णय के पश्चात् कार्यवाही की जाएगी ।

अन्तरण मान्य होने पर सार्टेक्स प्लांट संचालक द्वारा जमा की गई परफ़ार्मेंस सिक्यूरिटी मंडी समिति द्वारा राजसात कर ली जावेगी तथा नवीन सार्टेक्स प्लांट संचालक को उतनी राशि की परफ़ार्मेंस सिक्यूरिटी मियादी जमा रसीद के रूप में परफ़ार्मेंस सिक्यूरिटी लेखाअधिकारी म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल के नाम से जमा करनी होगी तथा नवीन अनुबंध निष्पादित करना होगा।

अपवाद

एक वर्ष की अवधि का बंधन सार्टेक्स प्लांट संचालक की अकस्मात मृत्यु अथवा स्थाई अपंगता पर लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में शेष प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये उसी समय अन्तरण किया जा सकेगा। इसके अन्तर्गत की जानेवाली कार्यवाही में, जिस व्यक्ति/फर्म इत्यादि को कार्य का अंतरण होगा, उसकी अवधि पूर्व अनुबंध की शेष अवधि होगी।

ऐसी स्थिति में सार्टेक्स प्लांट संचालक की परफ़ार्मेंस सिक्यूरिटी की 50%राशिवापिस की जायेगी । परन्तु यह राशि नवीन सार्टेक्स प्लांट संचालकद्वारा उतनी ही परफ़ार्मेंस सिक्यूरिटी की राशि जमा करने के पश्चात् विमुक्त की जायेगी।

1. सार्टेक्स प्लांट की क्षमता में दोनों पक्षों की सहमति से आवश्यकतानुसार परिवर्धन किया जा सकता है। परन्तु संभागीय कार्यपालन यंत्री, सचिव कृषि उपज मण्डी समिति एवं मण्डी निरीक्षक, कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा संयुक्त रूप से निर्णय के पश्चात् ही सार्टेक्स प्लांट की क्षमता में परिवर्धन की कार्यवाही की जा सकेगी जिसका सम्पूर्ण व्यय संचालक द्वारा वहन किया जावेगा।
2. अनुबंध की अवधि समाप्त होने के पश्चात् सार्टेक्स प्लांट तथा इसके संचालन हेतु निर्मित की गईं समस्त संरचनाएँ सार्टेक्स प्लांट संचालक द्वारा चालू हालत में कृषि उपज मंडी समिति को हस्तांतरित किए जाएंगे।
3. कृषि उपज मंडी समिति द्वारा इस व्यवस्था के हस्तांतरण हेतु संचालक को किसी प्रकार की कोई भी राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा तथा यह संपूर्ण सम्पत्ति मंडी समिति के स्वामित्व की होगी।
4. यदि सार्टेक्स प्लांट संचालक द्वारा प्लांट चालू हालत में समिति को हस्तांतरित नहीं किया जाता है तो प्लांट को चालू हालत में लाने पर समिति द्वारा जो भी व्यय किया जाएगा, वह सार्टेक्स प्लांट संचालक द्वारा जमा की गई परफ़ार्मेंस सिक्यूरिटी से काट लिया जाएगा। व्यय की गई राशि के संबंध में सचिव, कृषि उपज मंडी समिति का निर्णय अंतिम होगा।
5. सार्टेक्स प्लांट संचालक द्वारा सार्टेक्स प्लांट संचालन में अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में सचिव,कृषि उपज मण्डी समिति,सार्टेक्स प्लांट संचालक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् प्रबंध

संचालक,मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल,द्वारा अधिरोपित पेनाल्टी बंधनकारी होगी एवं सार्टेक्स प्लांट संचालक को अधिरोपित पेनाल्टी की राशि पारित आदेश के दिनांक से सात दिन के भीतर जमा करनी होगी।

6. विवाद की स्थिति में प्रकरण के निराकरण हेतु माध्यस्थ और सुलह अधिनियम,1996 के अंतर्गत प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल, एकमात्र मध्यस्थ (Sole Arbitrator) होंगे, जिनका विनिश्चय अंतिम होगा तथा दोनों पक्षों पर बंधनकारी होगा।
7. न्यायालयीन वाद–विवाद की स्थिति में कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में न्यायालयीन क्षेत्र संबंधित कृषि उपज मण्डी समिति का जिला न्यायालय तथा मण्डी बोर्ड द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में न्यायालयीन क्षेत्र जिला न्यायालय भोपाल होगा।
8. निविदा प्रपत्र के सभी प्रावधान अनुबंध का भाग होंगे।

दिनांकित हस्ताक्षरसचिव
कृषि उपज मंडी समिति...........
जिला.......................
संभाग........................

दिनांकित हस्ताक्षरअध्यक्ष/भारसाधक अधिकारी
कृषि उपज मंडी समिति...........
जिला.......................
संभाग........................

दिनांकित हस्ताक्षर सार्टेक्स प्लांट संचालक

परिशिष्ट–अ
निविदा प्रपत्र का शेड्यूल

स. क्रं.	विभागीय स्तर पर	निविदाकार स्तर पर	दिनांक	समय
1	निविदा प्रपत्र का क्रय	–	10.10.19	17:30
2	प्री बिड मीटिंग	दिनांक 17.10.19 समय 15:00 स्थान. मंडीबोर्ड, भोपाल.मोबाईल...9425426174		
3	निविदा प्रपत्र क्रय करने की प्रारंभिक दिनांक	––	10.10.19	17:30
4	निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम दिनांक	–	24.10.19	17:30
5	–	भौतिक रूप में धरोहर राशि की मूल प्रति एवं अन्य दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति प्राप्तहोने की अंतिम दिनांक.	31.10.19	17:30
6	निविदा प्रस्तुति		31.10.19	17:30
7	तकनीकी बिड खोलने का दिनांक	–	01.11.19	14:30
8	वित्तीय ऑफर खोलने का दिनांक	–	02.11.19	11:30

अधीक्षण यंत्री
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

परिशिष्ट–''ब''

अनु क्रमांक	निविदाकार का विवरण	निविदाकार द्वारा प्रस्तुत जानकारी
अ) निविदाकार का संगठनात्मक विवरण		
1.	**निविदाकार** (व्यक्ति /फर्म/संस्था/सहकारी संस्था/ कॉन्सार्टियम/पार्टनरशिप) का नाम जिसे निविदा प्रपत्र जारी किया गया	
2.	**निविदाकार** का दुकान स्थापना अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन क्रमांक,दिनांक एवं वैधता	
3.	निविदाकार की एन्टिटी (प्रोपराइटी/पार्टनरशिप/लिमिटेड कंपनी)	
4.	श्रम आयुक्त से प्राप्त लायसेंस क्रमांक,दिनांक एवं वैधता	
5.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से प्राप्त पंजीयन क्रमांक, दिनांक एवं वैधता	
6.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम के क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त पंजीयन क्रमांक, दिनांक एवं वैधता	
7.	गुड्स एण्ड सर्विसेज टैक्स रजिस्ट्रेशन क्रमांक,दिनांक एवं वैधता	
8.	परमानेंट एकाउन्ट नम्बर (PAN)	
9.	टैक्स डिडक्शन एण्ड कलैक्शनएकाउन्ट नम्बर (TAN)	
10.	निविदाकार के बैंक खाते का विवरण (बैंक का नाम,शाखा का नाम,खाता संख्या, आई.एफ़.एस. सी.कोड इत्यादि)	
11.	चल/अचल सम्पत्ति का प्रमाण सहित विवरण	
12.	पत्र व्यवहार हेतु डाक का पता (Postal Address)	
13.	एस टी डी कोड सहित फोन नंबर	
14.	मोबाइल नंबर	
15.	ई–मेल आई डी	
16.	पदाधिकारियों की सूची	
17.	जमा की गयी धरोहर राशि का विवरण	T.D.R. क्रमांक दिनांक.. राशि (रू.)..................................

अनु क्रमांक	निविदाकार का विवरण	निविदाकार द्वारा प्रस्तुत जानकारी
		.... बैंक एवं शाखा का नाम........... .... शाखा का नाम......................
18.	अन्य जानकारी जो निविदाकार आवश्यक समझे	
	ब) निविदाकार यदि मंडी अनुज्ञप्तिधारी है	
1.	प्रथम अनुज्ञप्ति का वर्ष एवं क्रमांक	
2.	अनुज्ञप्ति की वैधता	**दिनांक.....................तक**
3.	जमा किया गया मंडी शुल्क का विवरण	
4.	यदि व्यतिक्रमी है तो उसका विवरण	
	स.) प्राधिकृत प्रतिनिधि का विवरण(यदि कोई हो)	
1	नाम	
2	पद	
3	पत्र व्यवहार हेतु डाक का पता (Postal Address)	
4	एस टी डी कोड सहित फोन नंबर	
5	मोबाइल नंबर	
6	ई–मेल आई डी	
7	पावर आफ़ अटार्नी की स्व–प्रमाणित प्रति	

नोट

1. यदि निविदाकारपार्टनरशिप या लिमिटेड कंपनी है तो पार्टनरशिप डीड या आर्टिक्ल्स ऑफ़ एसोसिएशन एण्ड मेमोरेण्डम ऑफ़ एसोसिएशन एवं कंपनी का पंजीयन प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा।
2. उपरोक्त तालिका में वर्णित सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न की जाएगी।

निविदाकार/प्राधिकृत प्रतिनिधि के
सील सहित दिनांकित हस्ताक्षर

<u>परिशिष्ट–''स''</u>

शपथ पत्र (रूपये 100.00 के नॉन न्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

<u>मैं /हम शपथ पूर्थक कथन करता हूँ/करते हैंः</u>

1. मेरे/हमारे द्वारा निविदा की सभी शर्तों को पढ़कर समझ लिया गया है। मंडी द्वारा प्रस्तावित भू–खण्ड का निरीक्षण कर लिया गया है। इसके उपरान्त मेरे/हमारे द्वारा वित्तीय आफर दिया गया है। यदि मंडी समिति **''मल्टीग्रेन कलर सार्टेक्स प्लांट (पाँच टन प्रति घण्टा)''** स्थापना एवं संचालन हेतु मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत करती है तो निर्धारित सभी शर्तों का मेरे/हमारे द्वारा पालन किया जाएगा।
2. मेरे/हमारे भागीदार/भागीदारों में से किसी की भी, कृषि उपज मंडी समिति एवं मण्डी बोर्ड में किसी भी संबंधित कार्यरत अधिकारी (अधिकारियों)/कर्मचारी/(कर्मचारियों) से, कोई भी रिश्तेदारी नहीं है।
3. मेरे/हमारे द्वारा जो भी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं,वे सब मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्यता पर आधारित हैं।

निविदाकार/प्राधिकृत प्रतिनिधि के
सील सहित दिनांकित हस्ताक्षर

प्रपत्र–द
टैकनिकल बिड

अनुक्रमांक	विवरण	निविदाकार द्वारा प्रस्तुत जानकारी
1.	कम से कम पाँच टन प्रति घण्टा की क्षमता वाले ''मल्टीग्रेन कलर सार्टेक्स प्लांट '' अथवा समरूप प्लांट की स्थापना एवं संचालन हेतु विगत तीन वर्षों के अनुभव का सप्रमाण विवरण	....
2.	आई.एस.ओ., आई.सी.ए.आर. या अन्य प्रमाणपत्र की वैधता	.....
3.	चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित विगत तीन वित्तीय वर्ष का वार्षिक टर्न–ओवर (विगत तीन वित्तीय वर्ष में से किसी भी एक वित्त वर्ष में टर्न–ओवर कम से कम रूपये 16.00 करोड़ होना आवश्यक है तथा विगत तीन वर्षों का संयुक्त टर्न–ओवर 48.00 करोड़ होना आवश्यक है।)	....
4.	चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित विगत तीन वित्तीय वर्ष की बैलेन्स शीट एवं आडिट रिपोर्ट	....
5.	प्रस्तावित पाँच टन प्रति घण्टा की क्षमता वाले ''मल्टीग्रेन कलर सार्टेक्स प्लांट का मेक एवं मॉडल विवरण सहित	
6.	कृषकों के हित एवं कल्याण हेतु किए गए कार्यों का सप्रमाण विवरण	
7.	कार्य से संबंधित अन्य विवरण	
8.	अन्य जानकारी जो निविदाकार आवश्यक समझे	

नोट– सभी दस्तावेजों की सूची पृष्ठ क्रमांक सहित टैकनिकल बिड के साथ अपलोड की जावे। यदि कोई निविदाकार उपरोक्तानुसार दस्तावेज अपलोड नहीं करेगा तो उसकी टैकनिकल बिड पर विचार नहीं किया जाएगा।

निविदाकार/प्राधिकृत प्रतिनिधि के
सील सहित दिनांकित हस्ताक्षर

परिशिष्ट 'ड'
वित्तीय ऑफ़र

~~मैं/हम कृषि उपज मण्डी में ''पाँच टन प्रति घण्टा की क्षमता वाले मल्टीग्रेन सार्टेक्स प्लांट'' की स्थापना एवं संचालन हेतु राशि रूपये (अंकों में).. . (शब्दों में रू..)का ऑफ़र देता हूँ। प्लांट के स्थापन एवं संचालन हेतु निविदा प्रपत्र में दी गई शर्तें मैंने/हमने पढ़ ली हैं एवं समझ लेने के पश्चात् ही यह ऑफ़र दिया है।~~

निविदाकार/प्राधिकृत प्रतिनिधि के
सील सहित दिनांकित हस्ताक्षर

परिशिष्ट ''ई''

SPECIFICATIONS OF MULTIGRAIN COLOR SORTEXPLANT AND ITS COMPONENTS

Multigrain color sortex plantof5 Ton per hour (TPH) capacity shall include:

1. Trichromatic Multigrain Color Sortex Machine - 5TPH;
2. Hydraulic Dump Hopper of 500 Kg capacity;
3. "Z" Type Elevator with Nylon Buckets & Chain;
4. Pre-Cleaner 8 to 10 TPH;
5. Fine Cleaner–5TPH;
6. De-Stoner–5TPH;
7. Gravity Separator -5TPH;
8. Air Compressor, Air Tank, AirDryer, Air filters &Air Line;
9. Generator-100 KW;
10. Transformer-100 KW or above;
11. Electric cum programmable logic controller (PLC) software and hardware system for automatic operations of all machines;
12. Storage Tanks and Surge Bins;
13. Dust Aspiration System;
14. Electric Lighting, Wiring and Electric line from the transformer to plant; and Water Arrangements.